09-9-2023 आज यह पत्रावली प्रार्थी वादी के प्रार्थना पत्र पर वास्ते सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच के समक्ष बैंच माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मुख्यावर में रखी गई।

Not press
~~[illegible]~~
on merit

प्रार्थी / वादी की पहचान उसके वकील श्री हंसराज यादव एडवोकेट द्वारा की गई। प्रार्थी के प्रार्थना पर सुना गया। प्रार्थी ने निवेदन किया वह अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः केस अदालत में निस्तारण कर नोट प्रेस में खारिज कर दिया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वाद वादी not press में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार डोकेट नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल जिला रेकर्ड भण्डार हो। सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०